

# कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (मप्र)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक/डीटीपीसी./ /2017/237

शिवपुरी, दिनांक :- 09/04/17

// निविदा सूचना //

एतद द्वारा समस्त मछुआ सहकारी समिति तथा मछुआ कार्य से संबंधित एन.जी.ओ को सूचित किया जाता हैकि जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड छत्री रोड़ शिवपुरी स्थित स्टॉपडेम कुण्ड में पैडल बोट चलाने के कार्य हेतु 5 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रति दिवस प्रति बोट किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक मछुआ सहकारी समिति तथा मछुआ कार्य से संबंधित एन.जी.ओ से दिनांक 20/03/2017 दोपहर 2:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 19/03/2017 तक कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में (जो अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी)। प्राप्त निविदायें दिनांक 20/03/2017 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष 4:00 बजे खोली जावेगी।

क्र	कार्य का नाम	न्यूनतम किराया	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	निविदा मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	भदैया कुण्ड शिवपुरी स्थित स्टॉपडेम कुण्ड में पैडल बोट चलाने के कार्य का संचालन एवं संधारण	100/- प्रति दिवस प्रति बोट	60000/-	2000/-	15 दिवस

नोट :- पैडल बोट के कार्य का संचालन हेतु मछुआ सहकारी समिति तथा मछुआ कार्य से संबंधित एन.जी.ओ को निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपना कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा। जिसका कंसेप्ट प्लान डीटीपीसी द्वारा सर्वमान्य किया जायेगा उसी के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे।

## आवश्यक शर्तें :-

1. पैडल बोट संचालन एवं संधारण हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 0.60 लाख रुपये डीटीपीसी के नाम जमा करना होगी जो 5 वर्ष 6 माह बाद व्याज रहित वापिस किये जाएँगे ।
2. किराये की राशि त्रैमासिक जमा की जाना होगी । त्रैमास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा यदि किराये की राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी । नियत अवधिमें किराया जमा ना करने की दशा में, बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत ब्याज देय होगा । विलम्ब 90 दिवस से अधिक होने पर सात दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कियाजा सकेगा ।
3. विघुत व्यय स्वयं वहन करना होगा
4. सुरक्षा के लिये टूरिस्ट को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना होगी एवं दो कुशल तैराक रखने होंगे।
5. सम्पूर्ण एरिया पोलीथिन फ्री रखना होगा ।

6. पैडल बोट संचालन का स्टाफ ट्रेड होगा , वर्दी में रहेगा , सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या ग्राहकों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर डीटीपीसी कभी भी किसी भी कर्मचारी को पृथक करने का आदेश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
7. टिकिट की रसीद संधारित की जावेगी सभी टेक्स अदा करने होंगे, कैश लेश ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
8. भदैया स्थित तीनों कुण्डों की नियमित साफ सफाई का जिम्मा संबंधित मछुआ सहकारी समिति तथा मछुआ कार्य से संबंधित एन.जी.ओ का होगा।
9. पैडल बोट संचालक को डीटीपीसी की सहमति से टिकिट दर निर्धारित करने की पात्रता रहेगी।
10. मछुआ सहकारी समिति तथा मछुआ कार्य से संबंधित एन.जी.ओ को सामग्री जैसे - लाईफ जैकेट, टयुब एवं पैडल बोट इत्यादि सामग्री खरीद कर स्थापित कराने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के उपरांत संचालक स्वयं के द्वारा स्वयं के व्यय पर खरीदी गई एवं स्थापित की गई सामग्री निकाल कर ले जा सकेगा।
11. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएँगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।

डिप्टी कलेक्टर  
एवं नोडल अधिकारी  
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद  
शिवपुरी